न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 378/2025(GCMS : 2025/505)

चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाईनेंस कम्पनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय– प्रथम माला, डेयर हाउस नं. 2 एन.एस.सी बोस रोड़, चेन्नई–600001 **शाखा कार्यालय** सैकिण्ड फ्लोर, 191–जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर जरिये एरिया कलैक्शन मैनेजर, इन्द्रजीत सिंह धेतरवाल पुत्र श्री सोहन सिंह जाति जाट हाल निवासी 191 जी ब्लॉक, सैकिण्ड फ्लोर, पीटर इंग्लैण्ड शॉरूम के ऊपर, सुखाड़िया सर्किल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **शिव कुमार** पुत्र चानण राम निवासी 57 एनपी, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान–335041 **द्वितीय पता** किला नं. 21/2, 22/1, मुरब्बा नम्बर 40, पत्थर नम्बर 208/339, चक 17 एसएडी, ग्राम पंचायत 2 आईडब्ल्यूएम, 17 एसएडी, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर – 335051 राजस्थान जियो टावर रायसिंहनगर – 335051
2. **सुलोचना** पुत्री चानण राम निवासी 57 एन पी, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान–335051 **द्वितीय पता** किला नं. 21/2, 22/1, मुरब्बा नम्बर 40, पत्थर नम्बर 208/339, चक 17 एसएडी, ग्राम पंचायत 2 आईडब्ल्यूएम, 17 एसएडी, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर – 335051 राजस्थान जियो टावर रायसिंहनगर – 335051

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.01.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री जितेन्द्र पराशर ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण शिव कुमार एवं सुलोचना को ऋण सुविधा के रूप में 30,37,385/– रूपये ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 28.08.2025 को 32,46,553/–रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी सुलोचना द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति किला नं. 21/2, 22/1, मुरब्बा नं. 40, पत्थर नं. 208/339, चक 17 एस ए डी, ग्राम पंचायत 2 आई.डब्ल्यू.एम., 17 एसएडी, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर–335051 राजस्थान जियो टावर रायसिंहनगर 335051, जिसके उत्तर कृषि भूमि, दक्षिण में रोड़, पूर्व में कृषि भूमि और पश्चिम में रास्ता है तथा जिसका साईज 1440 वर्गमीटर है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:45:01 IST
Reason: SelfAttested

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण शिव कुमार एवं सुलोचना** को ऋण

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सुविधा के रूप में दिनांक 31.12.2022 को 23.00 / – लाख रूपये एवं दिनांक 17.01.2024 को 7,37,385 / – रूपये कुल 30,37,385 / – (अखरे रूपये तीस लाख सैंतिस हजार तीन सौ पिचयासी मात्र) **की स्वीकृति प्रदान की थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुलोचना ने अपनी अचल **सम्पत्ति किला नं. 21 / 2, 22 / 1, मुरब्बा नं. 40, पत्थर नं. 208 / 339, चक 17 एस ए डी, ग्राम पंचायत 2 आई.डब्ल्यू.एम., 17 एसएडी, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर–335051 राजस्थान जियो टावर रायसिंहनगर 335051, जिसके उत्तर कृषि भूमि, दक्षिण में रोड़, पूर्व में कृषि भूमि और पश्चिम में स्वयं है, उक्त प्लॉट जिसका साईज 1440 वर्गमीटर है,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 23.08.2025 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) की विधिक तामील हो गई है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण **और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों / जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।**

जहां तक ऋण की एवज में **अप्रार्थी सुलोचना की अचल सम्पत्ति किला नं. 21 / 2, 22 / 1, मुरब्बा नं. 40, पत्थर नं. 208 / 339, चक 17 एस ए डी, ग्राम पंचायत 2 आई.डब्ल्यू.एम., 17 एसएडी, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर–335051 राजस्थान जियो टावर रायसिंहनगर 335051, जिसके उत्तर कृषि भूमि, दक्षिण में रोड़, पूर्व में कृषि भूमि और पश्चिम में स्वयं है, उक्त प्लॉट जिसका साईज 1440 वर्गमीटर है,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:45:01 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जहां तक अप्रार्थी ऋणी **पर धारा 13(2)** के जारी नोटिस 29.08.2025 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 29.08.2025 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अ**प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 29.08.2025 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गये है और** अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी **सुलोचना** द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाईनैंस कम्पनी लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी **ऋणी सुलोचना द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति किला नं. 21/2, 22/1, मुरब्बा नं. 40, पत्थर नं. 208/339, चक 17 एस ए डी, ग्राम पंचायत 2 आई.डब्ल्यू.एम., 17 एसएडी, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर–335051 राजस्थान जियो टावर रायसिंहनगर 335051, जिसके उत्तर कृषि भूमि, दक्षिण में रोड़, पूर्व में कृषि भूमि और पश्चिम में स्वयं है, उक्त प्लॉट जिसका साईज 1440 वर्गमीटर है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील शामिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:45:01 IST
Reason: SelfAttested

Manju
(डॉ. मन्जू)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर